प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांक-26.11.2025

थाना गौर पुलिस टीम, स्वाट टीम बस्ती व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत फ्लिप्कार्ट ऑफिस से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए संबंधित 05 अभियुक्तों को आठ अदद मोबाईल फोन, एक अदद लैपटाप व घटना में प्रयुक्त दो अदद मोटर साइकिल एवं चोरी गए अन्य सामानों के साथ किया गया गिरफ्तार-

थाना गौर पुलिस टीम, स्वाट टीम बस्ती व सर्विलांस टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में थाना गौर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक-13.11.2025 को Smardace Solution Pvt. Ltd. (Flipkart) आफिस वार्ड न0-10 सुभाष नगर नहर कालोनी नगर पंचायत बभनान जनपद बस्ती से हुई चोरी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-166/2025 धारा 331(4), 305(a) BNS का सफल अनावरण करते हुए दिनांक-26.11.2025 को समय करीब 00:10 बजे मुखबिर ख़ास की सूचना पर चौरा घाट से संबंधित **05 अभियुक्तों यथा 1-**रवि शर्मा पुत्र रामभवन शर्मा **2-**बलजीत शर्मा उर्फ बल्ली पुत्र रामजनक शर्मा उम्र करीब 28 वर्ष **3-**सूरज उर्फ इन्द्रजीत पुत्र स्व० ध्रुपचन्द **4-**आनन्द कुमार वर्मा पुत्र रामभवन वर्मा **5-**मनीष कुमार चौधरी पुत्र राजमणि चौधरी को **1-**आठ अदद मोबाईल फोन, एक अदद कैमरा लेन्स व एक अदद लैपटाप, **2-**रुपये 1,800/- नगद व **घटना में प्रयुक्त** दो अदद मोटर साइकिल एवं **चोरी गए अन्य सामानों** के साथ गिरफ्तार किया गया |

गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर उक्त 05 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0-166/2025 धारा 331(4), 305(a) BNS में धारा-317 (2) BNS की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- रवि शर्मा पुत्र रामभवन शर्मा उम्र करीब 23 वर्ष निवासी सेठा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

2- बलजीत शर्मा उर्फ बल्ली पुत्र रामजनक शर्मा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम सेठा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

3- सूरज उर्फ इन्द्रजीत पुत्र स्व० ध्रुपचन्द उम्र करीब 24 वर्ष निवासी सेठा थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

4- आनन्द कुमार वर्मा पुत्र रामभवन वर्मा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी परसपुर दुबौली थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

5- मनीष कुमार चौधरी पुत्र राजमणि चौधरी उम्र करीब 28 वर्ष निवासी गनेशपुर थाना वाल्टरंगज जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1- आठ अदद मोबाईल फोन, एक अदद कैमरा लेन्स व एक अदद लैपटाप |

2- एक बोरे में एक अदद लेमिनेटर, एक अदद इलेक्ट्रिक वाटर वायलर, एक अदद ग्राइण्डर, एक अदद राउटर, एक अदद स्टील का डब्बा, एक अदद फुट पम्प एक यू०पी०एस, एक अदद मैक्स प्रो, एक अदद विडियो कन्टवर्टर |

3- दूसरे बोरे में 06 अदद जुते, एक अदद नेवी ब्लू जिन्स, चार अदद महिला सूट, एक अदद साडी, 04 अदद टिशर्ट (बच्चो के), 06 अदद लोवर बच्चो के |

4- रुपये 1,800/- नगद व दो अदद मोटर साइकिल (घटना में प्रयुक्त) |

घटना का संछिप्त विवरण-

दिनांक-13.11.2025 को सर्वेश त्रिपाठी पुत्र भगवान प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम व पोस्ट पिपराकाजी थाना पैकोलिया जनपद बस्ती द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया कि वह Smardace Solution Pvt. Ltd. (Flipkart) आफिस पता वार्ड न0-10 सुभाष नगर नहर कालोनी नगर पंचायत बभनान बस्ती में मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ, जहां दिनाक-13.11.2025 की रात्रि में ऑफिस से एक लैपटॉप, कुछ मोबाइल, कुछ किमती सामान व रुपये 33,449/- नगद अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है, जिस पर थाना गौर पर मु0अ0सं0-166/2025 धारा 331(4), 305(a) BNS पंजीकृत कर विवेचनात्मक व अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के क्रम में दिनांक-26.11.2025 को समय करीब 00:10 बजे मुखबिर ख़ास की सूचना पर चौरा घाट से संबंधित 05 अभियुक्तों यथा को दो अदद मोटरसाइकिल व चोरी गए अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-166/2025 धारा 331(4), 305(a) BNS में धारा-317 (2) BNS की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है |

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग बेरोजगार है एवं पैसे की कमी होने के कारण आपस में प्लानिंग करके बभनान नहर के पास फ्लिप कार्ट एजेन्सी की पहले दो दिन रेकी किए, तत्पश्चात दिनांक-13.11.2025 की रात्री में हम सभी समय करीब 01:00 बजे एजेन्सी पर पहुंचकर लगे ताला को तोड़कर उसमें घुसकर यह सब सामान चुराया गया था जिसके अलावा हमारे पास कई मोबाईल फोन, इलेक्ट्रानिक सामान, घड़ी एवं कपड़े चोरी मे मिला था जिसे चोरी के दूसरे दिन ही हम लोग नेपाल ले जाकर बेच दिये थे | हम लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था तो यह बचा हुआ सामान भी नेपाल ले जाकर बेचने के फिराक में थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गए | दुकान में लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे की डी०वी०आर० के बारे में पूछने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि सामान बेचने जब हम नेपाल गये थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी थी जिसमें उस डी०वी०आर० को फेंक दिया गया था |

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

(रवि शर्मा पुत्र रामभवन शर्मा उपरोक्त)-

1- मु0अ0सं0 272/2022 धारा 20/8 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी प्रदार्थ 1985 थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

2- मु0अ0सं0104/2023 धारा 20/8 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी प्रदार्थ 1985 थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती। |

(आनन्द चौधरी पुत्र रामभवन चौधरी उपरोक्त)-

1- मु0अ0सं0 54/2021 धारा 147, 323, 504, 506 IPC व 3(1)द, 3(1)ध SC/ST Act थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

2- मु0अ0सं0 298/2022 धारा 147, 148, 504, 506 IPC व 3(1)द, 3(1)ध SC/ST Act थाना नगर जनपद बस्ती|

(मनीष चौधरी पुत्र राजमणि चौधरी उपरोक्त)-

1- मु0अ0सं0 231/2024 धारा 115(2), 140(1), 351(2), 352 BNS व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST Act थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष गौर सन्तोष कुमार जनपद बस्ती |

2- प्रभारी स्वाट टीम उ०नि० चन्दन कुमार जनपद बस्ती |

3- प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 शेषनाथ यादव, जनपद बस्ती |

4- प्रभारी चौकी बभनान उ0नि0 अजय नाथ कन्नौजिया थाना गौर जनपद बस्ती |

5- हे0का0 महेन्द्र प्रताप, हे०का० शिव प्रसाद गौड़, का० कामरान खान थाना गौर जनपद बस्ती |

6- हे0का0 पवन तिवारी, चालक हे0का0 रमेश कुमार, का० शुभेन्द्र तिवारी, का0 किशन सिंह, का० अभिलाष प्रताप सिंह स्वाट टीम बस्ती |

7- हे0का0 सत्येन्द्र, सर्विलांस सेल, जनपद बस्ती |